



प्रेस नोट

जनपद – अम्बेडकरनगर

थाना सम्मनपुर

दिनांक – 18.05.2026

जनपद अम्बेडकरनगर एसओजी/स्वाट/सर्विलांस व थाना सम्मनपुर संयुक्त पुलिस की द्वारा थाना क्षेत्र ग्राम सुल्तानगढ़ दाउदपुर में हुई हत्या की घटना का 24 घंटे के भीतर सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर आलाकत्ल बरामद किया गया।

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देशन में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री हरेन्द्र कुमार के मार्गदर्शन एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितीश कुमार के पर्यवेक्षण में थाना सम्मनपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थानाध्यक्ष सम्मनपुर श्री दिनेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना सम्मनपुर पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में हुई हत्या की घटना का मात्र 24 घंटे के भीतर सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

ज्ञातव्य हो कि दिनांक 17.05.2026 को थाना सम्मनपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सुल्तानगढ़ दाउदपुर में मृतक जयराम घर में चारपाई पर लेटे हुए थे जहाँ संदिग्ध परिस्थितियों में उनका शव घर के बाहर चारपाई से नीचे पड़ा हुआ था। सिर पर गहरी चोट के निशान थे, मृतक के शव को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पोस्टमार्टम करवाया गया। प्रकरण में वादी शिवा गौड़ पुत्र रामदीन निवासी ग्राम दाउदपुर सुल्तानगढ़ थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा तहरीर दी गई कि उनके बड़े पिता जयराम की अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सम्मनपुर पर मु0अ0सं0 100/2026 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन, स्थानीय लोगों से पूछताछ एवं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का गहन परीक्षण किया गया। विवेचना एवं संकलित साक्ष्यों के आधार पर मृतक के पुत्र प्रमोद कुमार का नाम प्रकाश में आया।

पुलिस टीम द्वारा दिनांक 18.05.2026 को प्रातः लगभग 04:40 बजे अभियुक्त प्रमोद कुमार पुत्र जयराम उम्र लगभग 45 वर्ष निवासी ग्राम दाउदपुर थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकरनगर को दाउदपुर मोड़ से पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, पूछताछ के दौरान बताया कि मृतक जयराम उसे अक्सर सार्वजनिक रूप से गाली-गलौज एवं मारपीट कर अपमानित करता था, जिससे वह मानसिक रूप से आक्रोशित रहता था। दिनांक 16.05.2026 की रात्रि लगभग 11:22 बजे वह अपने पिता के पास गया, जहाँ पुनः गाली-गलौज होने पर क्षुब्ध होकर उसने लोहे की पाइप से वार कर अपने पिता की हत्या कर दी। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद लोहे की पाइप बरामद की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. प्रमोद कुमार पुत्र जयराम निवासी ग्राम दाउदपुर थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकरनगर उम्र लगभग 45 वर्ष ।

विवरण गिरफ्तारी-

दिनांक 18.05.26 समय– 04.40 बजे सुबह

गिरफ्तारी स्थान दाउदपुर मोड़ थाना सम्मनपुर

विवरण पंजीकृत अभियोग –

1. मु0अ0सं0 100/2026 धारा 103(1) बीएनएस थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

विवरण बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद लोहे की पाइप

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

1. प्रभारी एसओजी संजय पाण्डेय मय टीम
2. प्रभारी स्वाट टीम अजीत पाण्डेय मय टीम
3. प्रभारी सर्विलांस सेल विनोद यादव मय टीम
4. थानाध्यक्ष श्री दिनेश कुमार सिंह थाना सम्मनपुर
5. उ0नि0 आशीष यादव थाना सम्मनपुर
6. का0 कृष्णचन्द्र यादव थाना सम्मनपुर
7. का0 अतुल यादव थाना सम्मनपुर
8. का0 विशाल शर्मा थाना सम्मनपुर